न्यूज़ टुडे

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 {Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021} को अधिसूचित किया है

- ये नियम डिजिटल मीडिया से संबंधित **पारदर्शिता के अभाव, जवाबदेही और प्रयोक्ताओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच** निर्मित किए गए हैं।
  - ये नियम **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000** की धारा 87(2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके और पूर्ववर्ती **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा–निर्देश) नियमावली 2011** (IT (Intermediary Guidelines) Rules 2011) के स्थान पर तैयार किए गए हैं।
- ये नियम **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ–साथ डिजिटल मीडिया और** OTT (over-the-top: OTT) प्लेटफॉर्म आदि के संबंध में एक अनुकूल निगरानी व्यवस्था (soft-touch oversight mechanism) प्रदान करेंगे।
  - **सोशल मीडिया** से संबंधित नियमों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
  - **डिजिटल मीडिया के संबंध में आचार संहिता व प्रक्रिया एवं सुरक्षा** से संबंधित नियम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाएंगे।

  विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:

सोशल मीडिया	डिजिटल मीडिया	व्ज प्लेटफार्म
○ **'सोशल मीडिया मध्यस्थ'** एक मध्यस्थ प्लेटफॉर्म है, जो **दो या अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन अंतःक्रिया को सक्षम** बनाता है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करके उन्हें सूचना का निर्माण, उसे अपलोड करने, साझा करने, प्रसारित करने, संशोधित करने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। ○ **नियमों में सुझाए गए अध्यवसाय का सोशल मीडिया मध्यस्थों** द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यदि मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा अध्यवसाय का पालन नहीं किया जाता है, तो **सेफ हार्बर (सुरक्षित व्यापारिक शर्तें) का प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा।** आईटी अधिनियम मध्यवर्ती संस्थाओं को एक सुरक्षित व्यापारिक व्यवस्था प्रदान करता है और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करने पर ○ **प्रयोक्ताओं के कृत्यों के लिए दायित्व से छूट** प्रदान करता है। प्रशासन द्वारा **राष्ट्रविरोधी माने जाने वाले कंटेंट (पोस्ट) के स्रोत की पहचान** करना। ○ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है। ○ **उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला प्रयोक्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना।** ○ मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण–तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। कंटेंट की कुछ ऐसी श्रेणियां निर्धारित करना, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपलोड अथवा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए	○ डिजिटाइज्ड कंटेंट अर्थात् **जिसे इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है।** इन नियमों के उद्देश्यों में समाचार और समसामयिक मामलों के कंटेंट सहित प्राप्त, संगृहीत या प्रेषित कंटेंट भी शामिल है। ○ **भारतीय प्रेस परिषद** (Press Council of India) **द्वारा निर्धारित पत्रकारीय आचरण संबंधी प्रावधानों और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का पालन** करना। ○ नियमों के तहत स्व–विनियमन के विभिन्न स्तरों के साथ **तीन–स्तरीय शिकायत निवारण–तंत्र स्थापित** किया गया है। ○ शिकायत के **24 घंटे के भीतर प्राप्ति की सूचना भेजनी होगी और इसके प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर** समाधान करना होगा। 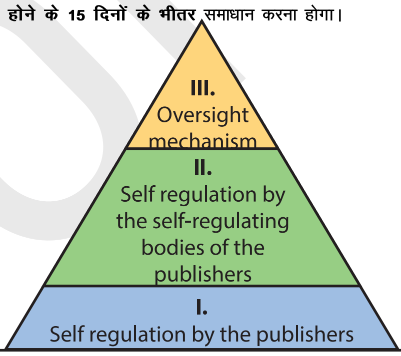 	○ **कंटेंट का स्व वर्गीकरण पांच आयु आधारित श्रेणियों** यथाः U (यूनिवर्सल), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और A (वयस्क) के आधार पर किया जाएगा। ○ प्लेटफॉर्म्स को U/A 13+ या उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए **पैरेंटल लॉक** लागू करने की आवश्यकता होगी। ○ "A" के रूप में वर्गीकृत सामग्री के लिए एक **विश्वसनीय आयु सत्यापन** तंत्र विकसित करना होगा। ○ **त्रि–स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र।** **आचार संहिता।**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey Of India: ASI) ने झारखंड में प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की

- यह बौद्ध मठ कम से कम 900 वर्ष प्राचीन है, जो झारखंड के हजारीबाग जिले के सीतागढ़ी पहाड़ियों में एक टीले के नीचे दफन था।
- उत्खनन से प्राप्त प्रारंभिक स्रोतों के आधार पर यह मठ पाल शासनकाल से संबंधित प्रतीत होता है।
  - पाल शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों को संरक्षण प्रदान किया था।
  - पाल वंश का शासनकाल बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक था।
- स्थल के समीपवर्ती की गई अन्य खोज और उनका महत्वः
  - वरद मुद्रा (Varadmudra)' में देवी तारा की चार मूर्तियाँ और 'भूमिस्पर्श मुद्रा' (Bhumisparsha Mudra) में बुद्ध की छह मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
  - देवी तारा की प्रतिमा की खोज से ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

    वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का तंत्रवाद आधारित एक रूप था, जो छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य, भारत में विकसित हुआ था।
    - देवी तारा की प्रतिमा पर नागरी लिपि (यह देवनागरी लिपि का एक पूर्ववर्ती संस्करण है) का अंकन प्राप्त हुआ है।
  - साथ ही, शैव देवी माहेश्वरी (एक मुकुट पहने हुए और चक्र धारण किए हुए) के सदृश प्रतिमा की खोज इस क्षेत्र में सांस्कृतिक आत्मसातीकरण की ओर संकेत करती है।

भूमिस्पर्श मुद्रा

- यह एक हस्त मुद्रा है। इसमें दाहिने हाथ की पाँचों उँगलियाँ भूमि की ओर संकेत करती हैं।
- यह मुद्रा मार (एक शैतान, जिसने सदैव बुद्ध या किसी भी व्यक्ति को धर्म के मार्ग से विचलित करने का प्रयास किया है) के प्रलोभन के बावजूद बुद्ध द्वारा पृथ्वी को अपनी पवित्रता और शुद्धता का साक्षी होने के प्रतीक के रूप में दर्शाती है।

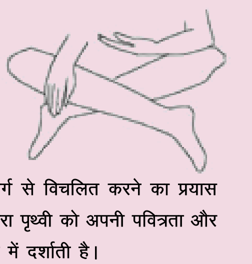

भूमिस्पर्श मुद्रा

- वरदानों के वितरण को प्रदर्शित करते हुए हस्त संकेत।

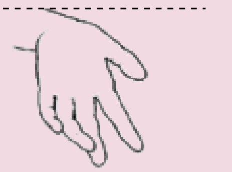

यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त किया

- भगोड़ा आभूषण कारोबारी नीरव मोदी, 13,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (Central Bureau of Investigation-CBI) **और प्रवर्तन निदेशालय** (Enforcement Directorate: ED) के लिए वांछित अपराधी है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, **प्रत्यर्पण** वस्तुतः एक राज्य की ओर से दूसरे राज्य को अपराधियों को सौंपने की एक व्यवस्था है। ऐसे अपराधी प्रायः दूसरे देश में किए गए अपराधों के एवज में उन देशों के न्यायालयों में अभियुक्त या दोषी ठहराए गए होते हैं। अतः संबंधित देश उनकी तलाश में प्रयासरत रहता है अर्थात् वे वांछित अपराधी होते हैं।
  - जांचाधीन, विचाराधीन और दोषसिद्ध अपराधियों के मामले में आरोपी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है।
- **प्रत्यर्पण अधिनियम 1962** (वर्ष 1993 में संशोधित) प्रत्यर्पण के लिए भारत को विधायी आधार प्रदान करता है।
  - यह अधिनियम, एक विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में एक प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित करता है। यह भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित है और इसमें 15 अगस्त 1947 से पूर्व किए गए भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित कोई संधि, समझौता या व्यवस्था शामिल है, जो भारत तक विस्तृत है और बाध्यकारी है।
  - वर्ष 1992 में भारत–ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **विदेश मंत्रालय भारत में प्रत्यर्पण का नोडल प्राधिकरण है।** सामान्य–जन के अनुरोध पर प्रत्यर्पण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
  - इन परिस्थितियों में प्रत्यर्पण संभव नहीं होता हैः एक संधि की अनुपस्थिति, किसी अन्य संधि में भी उल्लिखित नहीं होना, सैन्य और राजनीतिक अपराध आदि।

VISIONIAS

आयातित खाद्य फसलों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (genetically modified organisms: GMO) की FSSAI द्वारा निर्धारित सीमा अस्वीकार्य रूप से उच्च है

- भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के हालिया आदेश के विरुद्ध चिंता व्यक्त की गई है। यह आदेश आयातित खाद्य फसलों में GMO **की 1% अनित्य उपस्थिति** (adventitious presence) की अनुमति प्रदान करता है।
  - अनित्य उपस्थिति वस्तुतः **गैर -GM फसलों में GM सामग्री की सूक्ष्म मात्रा की अनैच्छिक या आनुषंगिक उपस्थिति को संदर्भित करती है।**
  - इसे 0.01% तक सीमित करने की मांग की गई है।
- FSSAI के आदेश के अनुसार, **1 मार्च से, 24 निर्दिष्ट खाद्य उत्पादों के आयातकों को वर्ष 2021 से अनिवार्य रूप से यह घोषित करना होगा** कि उत्पाद GM नहीं हैं और उस उत्पाद की उत्पत्ति भी गैर-GM है।
  - **24 खाद्य फसलों** में सेब, बैंगन, मक्का, गेहूं, खरबूजा, अनानास, पपीता, बेर, आलू, चावल, सोयाबीन, गन्ना, टमाटर आदि शामिल हैं।
- GM खाद्य आयातों को दो कानूनों यथाः **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** (यह पर्यावरणीय प्रभावों को शामिल करता है) तथा **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** (यह मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन करता है) के तहत स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  - **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति** (Genetic Engineering Appraisal Committee: GEAC) (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत) एक शीर्ष निकाय है, जो GM फसलों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति प्रदान करती है।
  - GEAC के अनुमोदन के उपरांत, FSSAI उपभोग हेतु इसे मंजूरी देने से पूर्व जोखिम का मूल्यांकन करता है।
- **एक GM फसल में दूसरी प्रजातियों से कृत्रिम रूप से एक जीन समाविष्ट किया जाता है, ताकि नई प्रजाति में कुछ वांछित गुण प्राप्त किए जा सकें,** जैसे– कीट प्रतिरोध, शाकनाशी–सहिष्णुता, सूखा प्रतिरोध आदि।

RBI गवर्नर के अनुसार प्रस्तावित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (asset reconstruction company: ARC) मौजूदा प्रतिभागियों को प्रभावित नहीं करेगी

- ARC **एक विशेष वित्तीय संस्थान है, जो बैंक को चुकाने वाले ऋणों को एक परस्पर रूप से सहमत मूल्य पर क्रय करता है** और ऋण या संबद्ध प्रतिभूतियों को स्वयं वसूलने का प्रयास करता है।
  - ARC को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किया गया है। इसे **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002** (SARFAESI Act 2002) **के तहत RBI के साथ पंजीकृत किया गया है।**
  - RBI] परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) को **गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों** (NBFCs) के रूप में विनियमित करता है।
- संघीय बजट 2021–22 में **मौजूदा अशोध्य ऋणों** (Bad loans) **के अधिग्रहण एवं समेकन के लिए नए ARCs/ बैड बैंक निर्मित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।**
  - बजट में प्रस्तावित ARCs को **राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंकों** द्वारा स्थापित किया जाएगा। साथ ही, इनमें सरकार की ओर से कोई इक्विटी योगदान नहीं किया जाएगा।
  - प्रस्तावित ARC में अशोध्य आस्तियों के प्रबंधन और विक्रय के लिए **परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** (Asset Management Company: AMC) का प्रावधान किया जाएगा।
  - यह अनिर्णीत 2–2.5 लाख करोड़ रुपये की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के मामलों का समाधान करेगा।
- वर्तमान में, मौजूदा ARCs **में, केवल 3–4 ही पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं,** जबकि शेष दर्जन से अधिक ARCs के पास पूंजी उपलब्धता कम है। यह दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के तत्काल समाधान के लिए एक नई संरचना स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- ARC **के लाभ**
  - ये कंपनियां, एक एकल निकाय के अंतर्गत बैंकों के सभी अशोध्य ऋणों को **समेकित करने और उनका समाधान करने** में सहायता करती हैं।
  - बैंकों की **नियमित कार्यप्रणाली प्रभावित नहीं होती है,** क्योंकि इससे बैंकों के तुलन पत्र त्रुटिविहीन और लाभार्जक प्रतीत होते हैं तथा बैंकों को समस्याग्रस्त ग्राहकों के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता है।

अन्य सुर्खियाँ

दल–परिवर्तन रोधी कानून (Anti-defection law)	○ यह **संविधान की 10वीं अनुसूची** (52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा समाविष्ट) को संदर्भित करता है। ○ इस कानून के अनुसार **संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को उसके पद से अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा,** यदि उसने अपने दल द्वारा **जारी किए गए निर्देशों के विपरीत किसी भी प्रस्ताव पर मतदान** किया है। ➢ **यह सदन में सभी प्रकार के मतदान अर्थात् प्रत्येक विधेयक और अन्य किसी मुद्दे पर होने वाले मतदान पर लागू होता है।** ➢ **यह राज्य सभा और विधान परिषदों पर भी लागू होता है।** ○ यह कानून **भारतीय राजनीतिक प्रणाली में स्थिरता** लाने के लिए पारित किया गया था। इसे **प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत** के विरुद्ध देखा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत विधायकों को उनकी इच्छा के अनुसार मतदान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
निधि कंपनियां (Nidhi companies)	○ **कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय** (MCA) ने निवेशकों को यह सलाह दी है कि वे **निवेश करने से पूर्व निधि कंपनियों की स्थिति का सत्यापन कर लें।** ज्ञातव्य है कि मंत्रालय द्वारा जांच में यह पाया गया है कि कई फर्म उनके लिए निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं। पूर्व में कंपनियों के बेहतर विनियमन के लिए **कंपनी अधिनियम, 2013** और **निधि नियमावली, 2014** में संशोधन किया गया था। ○ **निधि कंपनी, एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो अपने सदस्यों या शेयरधारकों के साथ ऋणों के लेन–देन का व्यवसाय** करती है। ○ इसे **कंपनी अधिनियम, 1956** के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। ○ **निधि कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) निषिद्ध है।**
सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (City Innovation Exchange: CiX)	○ इसे **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च** किया गया है। ○ यह **नागरिक संगठनों–अकादमियों–व्यवसायों–सरकार** को एक साथ एक मंच पर लाएगा। ➢ यह प्लेटफॉर्म शहरों को उनकी महत्वपूर्ण चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तंत्र में मौजूद **नवोन्मेषकों से जोड़ेगा।** ○ यह एक **मजबूत, पारदर्शी और प्रयोक्ता केंद्रित** प्रक्रिया के माध्यम से समाधानों की खोज, डिजाइन एवं सत्यापन को सरल बनाएगा। यह **स्मार्ट शहरी प्रशासन प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमता का विस्तार करते हुए,** विचारों के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाने में सहायता करेगा।
मन्नथु पद्मनाभन (1878-1970 ई.) {Mannathu Padmanabhan (1878 -1970)}	○ प्रधान मंत्री ने **श्री मन्नथु पद्मनाभन जी** को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ○ वह **केरल के एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी** थे। उन्हें नायर समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था **नायर सर्विस सोसाइटी** (NSS) **के संस्थापक** के रूप में भी जाना जाता है। ○ उन्होंने मंदिर प्रवेश से संबंधित **वायकोम (1924) और गुरुवयूर सत्याग्रह (1929)** में भाग लिया था। ○ वे वर्ष 1950 में **त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड** के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ○ वर्ष 1959 में उन्होंने राज्य कम्युनिस्ट मंत्रालय के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष के **'विमोचन समारम'** का नेतृत्व किया था। ○ उन्हें **वर्ष 1966 में पद्मभूषण से सम्मानित** किया गया था।

VISIONIAS